

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०...../निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना के पद के अतिरिक्त प्रभार हेतु श्रीमती कुमारी शिशिर भारती, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
3. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

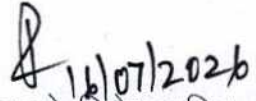
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

संख्या-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०.....20...../ पटना-01, दिनांक- 20/7/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव